

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी

क्षेत्रीय अधिकारिता	–	सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद
दीवानी पक्ष	–	1 एक लाख से अधिक असीमित मूल्यांकन के दीवानी वाद
		2 जज इन्शोलवेन्सी
		3 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
		4 पांच हजार से अधिक मूल्यांकन के लघुवाद
		5 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के वाद
		6 चुनाव याचिका क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत व नगरपालिका
		7 किराया नियंत्रण व वेदखली रिवीजन व अपील
		8 गार्जियन एण्ड वार्डस ऐक्ट
		9 भूमि आज़ाप्ति सन्दर्भण वाद
		10 हिन्दु विवाह अधिनियम
		11 जनपद उत्तरकाशी के उत्तराधिकार अधिनियम के वाद।
अपील	–	दीवानी अपील मूल्यांकन पांच लाख तक
फौजदारी पक्ष	–	1 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सत्र परीक्षण का क्षेत्राधिकार
		2 फौजदारी अपील
		3 फौजदारी निगरानी
विशेष न्यायाधीश	1	आवश्यक वस्तु अधिनियम
	2	अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम
	3	स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
	4	मिलावटी एवं नकली दवाओं से सम्बन्धित अधिनियम
	5	विद्युत अधिनियम की धारा 135 से 139 तक के विचारण

2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी0डि0) उत्तरकाशी

दीवानी पक्ष	–	जिला न्यायाधीश द्वारा हस्तान्तरित वादों का विचारण
क्षेत्रीय अधिकारिता	–	सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद
फौजदारी पक्ष	–	1 भा0द0सं0 के अन्तर्गत 7 साल की सजा तक के वादों का विचारण
		2 आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित वाद
		3 उत्तरप्रदेश शहरी भवन (नियंत्रण किराया और वेदखली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी
		4 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के वादों का विचारण
		5 खनन अधिनियम के वाद
		6 भरण पोषण सम्बन्धी वाद

3. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी

दीवानी पक्ष	–	1 एक लाख तक के दीवानी वादों के मूल्यांकन तक का विचारण
		2 लघुवाद पांच हजार तक के वादों का विचारण
क्षेत्रीय अधिकारिता	–	तहसील भटवाडी, डुण्डा व चिन्यालीसौड के समस्त दीवानी एवं लघुवाद
फौजदारी पक्ष	–	1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्राधिकार थाना मनेरी एवं राजस्व क्षेत्र तहसील भटवाडी के समस्त फौजदारी वाद, तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा समय-समय पर हस्तान्तरित वादों का विचारण
		2 भा0द0सं0 के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादों का विचारण
		3 सम्पूर्ण जनपद के किशोर न्याय बोर्ड से सम्बन्धित वाद
		4 किराया नियन्त्रण वाद

4. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला

दीवानी पक्ष	–	1 एक लाख तक के दीवानी वादों के मूल्यांकन तक का विचारण
		2 लघुवाद पांच हजार तक के वादों का विचारण
क्षेत्रीय अधिकारिता	–	तहसील पुरोला, बडकोट तथा मोरी के समस्त दीवानी एवं लघुवाद
फौजदारी पक्ष	–	1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्राधिकार थाना पुरोला, तहसील मोरी व बडकोट के पुलिस चालानी वाद, तहसील पुरोला, मोरी व बडकोट के परिवार वाद तथा अन्तर्गत धारा-125 दं0प्र0सं0 के तहसील पुरोला, मोरी व बडकोट के वादों का विचारण

- 2 भा0द0सं0 के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादो का विचारण
- 3 उत्तरप्रदेश शहरी भवन (किराया नियन्त्रण और बेदखली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी
- 4 किराया नियन्त्रण वाद